न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 18/2014

1. देवलाल
2. रामकुवांर

} पुत्रान श्री मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आरटी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री अमित कुमार गौड

वकील प्रतिवादीगण : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 14.02.2014

निर्णय दिनांक : 28.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2055 से 2069 में खसरा नं0 1280 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 1282 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम भटवाडा तह0 मांगरोल में सिवायचक दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के नवीन खसरा नं0 1280 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 1282 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 रकबा 1.42 है0 के साबिक खसरा नं0 431 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 433 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा थे। वादी का उक्त आराजी पर लगभग 35 वर्षो से कब्जे काश्त चली आ रही है। उक्त आराजी छीतर लाल पुत्र भूराजाल, द्वारका बाई, नट्टी बाई पुत्रियां भूरालाल निवासी भटवाडा को गलत रूप से आवंटित कर दी गयी थी जबकि उक्त भूमि पर कब्जा आवंटन से कई वर्षो पूर्व से वादीगण का चला आ रहा है। तथा आवंटी द्वारा उक्त भूमि लेने से मना भी कर दीया है जिसका नोट दखल नामे पर अंकित है। अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादीगण को ग्राम भटवाडा के साबिक खसरा नं0 431 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 433 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1280 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 1282 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 रकबा 1.42 है0 वादीगण के नाम कृषक दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

[illegible] का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण [illegible] का निवेदन किया कि वर्तमान कानून के परिप्रेक्ष्य में वादीगण को खातेदारी नही दी जा सकती। अपने जवाब दावे में उन्होने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख कर रखा है। दिनांक 25.06.2014 को छीतरलाल पुत्र नूरा जाति बलाई निवासी भटवाडा के द्वारा जर्ये अधिवक्ता आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे भी पक्षकार बनाया जावे। वाद ग्रस्त आराजी का वह रेकार्डेड खातेदार है। तथा न्यायालय को यह भी बताया कि इसी आराजी के संबंध में पक्षकारो के महक धारा 175 आरटीएक्ट की कार्यवाही जैरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

न्यायालय द्वारा वकील वादी राजस्थान सरकार पैरोकार व वकील श्री अजीत जैन की बहस सुनी गयी पुरानी पत्रावली 1/12 हाल दर्ज नम्बर 2/17 बउनवान देवलाल बनाम छीतरलाल धारा 175 आरटीएक्ट का अवलोकन किया गया। पूर्व निर्णय दिनांक 18.07.2011 की फोटोप्रति बउनवान देवलाल बनाम छीतरलाल को अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट का भी अवलोकन किया गया। जिसके तहत वादीगण का वाद पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है। पुनः वादीगण द्वारा उसी आराजी के संबंध में ये वाद पेश कर दिया जो विधि विरूद्ध है।

न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजो, न्यायिक दृष्टांतो पूर्ण निर्णय दिनांक 18.07.2011 का अवलोकन करने के पश्चात जैरकार वाद विधि अनुरूप नही है। और चलने योग्य नही है। इसी आराजी के सन्दर्भ में व पक्षकारो के महक 175 आरटीएक्ट की कार्यवाही भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रस्तुत वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादी वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 व 188 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया